औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )PWD / एफसीए / 2021 / प्रमुवसं. / 3912 दिनांक 22/11/22

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषयः–Widening & Stenthing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 K.M. 59/0 K.M. & 76/0 K.M. (Sh-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के संबंध मे। (Proposal No. FP/RJ/ROAD/143853/2021)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 7550 दिनांक 03.11.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. प्रस्ताव में संलग्न जी.टी. शीट पर प्रस्तावित रोड़ रक्षित वनखण्ड (चेनऐज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है, कारण स्पष्ट करें?
2. पार्ट–I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है।
3. पार्ट–I के बिन्दु संख्या एल. में प्राप्त गैर वनभूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है, अंकित नहीं है।
4. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वनभूमि मृदा एवं जल संरक्षण कार्य वृत्त में आती है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है, इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में प्रत्यावर्तित वनभूमि रक्षित वनभूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वनखण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वनखण्ड के राजपत्र की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
6. प्रस्तावित सड़क में पातन होने वाले वृक्षों की सूची चेनऐज अनुसार संलग्न नहीं की गई है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण–पत्र में 1000 से कम पौधे रोपित नही होने का उल्लेख नही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्गदर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वनभूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है।
8. प्रस्तावित गैर वन भूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नही दर्शाया गया है उप वन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि को प्रबंध किया जावेगा।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14( )2019 / संयुक्त रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं. / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–प्रथम, प्रतापगढ़ (राज.)

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
क्रमांक एफ3() तकनीकी / FCA / मुवसं / 2022-23 / 8296 22/11/2022
प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में लगाए गए आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्तिकर वांछित दस्तावेज तैयार कर शीघ्रातिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

Scanned with CamScanner